एम.पी. राम मोहन राजा

बनाम

तमिलनाडु राज्य व अन्य

25 अप्रैल 2007

[ए.के. माथुर और तरूण चटर्जी, जे.जे.]

तमिलनाडु गौण खनिज रियायत नियम, 1959; नियम 8 सी व 39:

खनिज-खदान पट्टा - अनुदान/नवीनीकरण करने की राज्य सरकार की शक्ति - नियम 80 सी की शर्तो में निषेध और नियम की शर्तों में छूट - पट्टा देने के लिए आवेदन - आवेदन के लंबित रहने के दौरान नियम 39 का निरस्त करना - आवेदन की अस्वीकृति - 6 साल से अधिक की अत्यधिक देरी के बाद आवेदक के द्वारा चुनौती दी गई - उच्च न्यायालय द्वारा अपील पर खारिज की गई - धारित किया गया: खनन अधिकारों के लिए आवेदन को खारिज करने के आदेश को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता/आवेदक के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार करने का कोई औचित्य नहीं था - इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को खनन और खनिज पट्टा देना उसका निहित अधिकार नहीं है - चूंकि जिस नियम के तहत आवेदक ने विचार के लिए निर्देश मांगा था, उसे पहले ही निरस्त कर दिया

गया है, जिस आधार पर आदेश पारित किया गया था वह पूरी तरह से खत्म हो गया है - चूंकि नियम 39 अस्तित्व में नहीं था, इसलिए अधिकारियों के लिए रिट याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका।

अपीलकर्ता ने तमिलनाडु लघु खनिज रियायत नियम, 1959 के नियम 39 के तहत तमिलनाडु राज्य सरकार के उद्योग विभाग में खदान पट्टा देने के लिए आवेदन किया था। नियमावली का नियम 39 राज्य सरकार को विशेष मामलों में खदान पट्टा देने या नवीनीकृत करने की शक्ति प्रदान करता है। रिट याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में रिट दायर करके राज्य सरकार को नियमावली के नियम 39 के तहत किये गये उसके आवेदनपत्र का निपटारा करने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को रिट याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर उसका निपटान करने का निर्देश दिया और राज्य सरकार को यथास्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया, इस बीच, राज्य सरकार द्वारा नियम 39 को निरस्त कर दिया गया। रिट याचिकाकर्ता के आवेदन को राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 8.10.1996 द्वारा खारिज कर दिया। जिला कलेक्टर ने कुछ भूमियों को नीलामी के लिए रखा, जिसमें वह भूमि भी शामिल थी जिसके लिए रिट याचिकाकर्ता ने पट्टा देने के लिए आवेदन किया था। सात वर्षों के

बाद, रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर कर दिनांक 8.10.1996 के आदेश को रद्द करने और पहले प्रतिवादी-तमिलनाडु राज्य को उत्खनन के लिए पट्टा देने के लिए रिट याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने के लिए सर्टिओरारी की रिट की मांग की। नियमावली के नियम 39 के तहत जेली और खुरदरा पत्थर यह प्रासंगिक समय पर था। दिनांक 27.2.2004 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ता को उक्त भूमि में उत्खनन कार्य जारी रखने की अनुमति दी। इस आदेश को राज्य सरकार ने एक रिट अपील दायर करके चुनौती दी थी, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने स्पष्टीकरण आदेश पारित किया था जिसके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा एक अपील दायर की गई थी लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया था। एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27.2.2004 को एक निजी पक्ष द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एकल न्यायाधीश के आदेश का लाभ उठाते हुए रिट याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में दी गई पट्टा-धारण भूमि पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है और उत्खनन कार्य शुरू कर दिया है। इसलिए, इन दोनों मामलों को पक्षकारों की सहमति से एक साथ जोड़ा गया और अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज करके उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया। जिसकी वर्तमान अपील है।

न्यायालय ने अपील खारिज की और अवधारित किया:

1.1. सरकार ने 8.10.1996 को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में एक आदेश पारित किया जिसमें आवेदक के आवेदन को खारिज कर दिया गया था, इसे अत्यधिक देरी के बाद यानी 27.4.2003 को रिट याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई थी, इसलिए, रिट याचिका में निराशाजनक रूप से देरी हुई थी। [पैरा 8] [582-ए-बी]

1.2. उच्च न्यायालय ने की प्रत्यर्थीगण की आपत्ति को सही ठहराया है। जब उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियम 39 के तहत रिट याचिका का आवेदन 08-10-1996 को खारिज कर दिया गया था, रिट याचिककर्ता ने दिनाक 27-04-2003 तक इंतजार किया और विलम्ब से एक रिट याचिका दायर की।

लेकिन अजीब बात है कि रिट याचिका पर विचार किया गया और एक अंतरिम आदेश पारित किया गया और राज्य सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने के बावजूद इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया। ऐसा तभी हुआ जब तीसरे पक्ष ने उक्त अंतरिम आदेश से व्यथित महसूस किया क्योंकि इस अंतरिम आदेश के कारण रिट याचिकाकर्ता ने उसके क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, तभी मामले पर उच्च न्यायालय ने विचार किया और इसे एक साथ जोड़ा गया। रिट याचिकाकर्ता को लंबे समय तक इंतजार करने का कोई औचित्य नहीं था। जब एक बार आदेश 8.10.1996

को पारित हो गया, तो रिट याचिकाकर्ता को इतने लंबे समय तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं था। इस प्रकार, न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है। हालाँकि, इस तथ्य के बावजूद कि रिट याचिका देर से दायर की गई थी और रूकावटें थी, उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर विवाद में प्रवेश किया और यह विचार किया कि जब राज्य सरकार को रिट याचिककर्ता के आवेदन का निपटारा करने के निर्देश के 4 सप्ताह के भीतर नियम 39 को हटा दिया गया था, तो कलेक्टर के पास आवेदन को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि जिस नियम को लागू किया गया था वह खारिज हो गया था, इसलिए, जिस आधार पर आदेश पारित किया गया था वह निरस्त कर दिया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिककर्ता को कोई राहत देने से इनकार कर दिया और गुणावगुण के आधार पर रिट याचिका को भी खारिज कर दिया। (पैरा 8) (582-बी-ई)

1.3 जहां तक देरी का प्रश्न है, कोई कठोर व प्रथम नियम नहीं बनाया जा सकता है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामले में, तथ्य हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में 8.10.1996 को कलेक्टर द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें खनन पट्टे के अनुदान पर विचार करने के लिए रिट याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता

इस मामले पर चुप्पी साधे बैठा रहा और 2003 तक इसे चुनौती नहीं दी। प्रथम दृष्टया यह मामला बहुत गंभीर प्रतीत होता है। जो व्यक्ति इतने लंबे समय तक या बिना किसी उचित कारण के चुपचाप बैठा रह सकता है, उसे कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। [पैरा 11] (583-ई-एफ)

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड व अन्य बनाम डॉली दास, (1999) 4 एससीसी 450 व मैसर्स डेहरी रोहतास लाइट रेलवे कंपनी लिमिटेड बनाम जिला बोर्ड, भोजपुर व अन्य आदि, (1992) 2 एससीसी 598, पर भरोसा किया गया।

1.4. नियमावली का नियम 39 को पहले ही 27-06-1996 को निरस्त कर दिया गया था और जमीनी हकीकत भी बदल चुकी थी। जहां तक खनन एवं खनिज पट्टा देने का प्रश्न है तो इसमें किसी भी व्यक्ति का निहित अधिकार नहीं है। इस कानूनी धारणा पर कोई विवाद नहीं है कि यदि कुछ अधिकारों का निर्णय उस समय प्राप्त कानून के आधार पर किया गया है, जो उस समय प्राप्त हो रहा था तो वह न्यायिक निर्णय को तब तक रद्द नहीं करेगा जब तक कि आधारों को हटा नहीं दिया जाता। वर्तमान मामले में, जिस नियम के तहत रिट याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पर विचार करने के लिए निर्देश मांगा था, उसे उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित समय सीमा के भीतर पहले ही निरस्त कर दिया गया है। इसलिए जिस आधार पर आदेश पारित किया गया वह पूरी तरह से खारिज

हो गया है। जिस नियम 39 के आधार पर निर्देश दिया गया वह अस्तित्व में ही नहीं था। इसलिए, अधिकारियों के लिए रिट याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका और खनिज पट्टे पर किसी का निहित अधिकार नहीं है। (पैरा 13] (584-ई-जी)

तमिलनाडु राज्य बनाम मैसर्स हिंद स्टोन व अन्य, (1981) 2 एससीसी 205 तथा पी.टी.आर. एक्सपोर्ट्स (मद्रास) प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1996) 5 एससीसी 268, पर भरोसा किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील संख्या 2138

मद्रास उच्च न्यायालय के 2003 के डब्ल्यू.पी. क्रमांक 13791 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.07.2006 से।

अपीलकर्ता के के. सुब्रमण्यन, ई.सी. अग्रवाल, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, वरुण माथुर, गौरव गोयल और नेहा अग्रवाल तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से के. के. मणि व आर. नेदुमारन।

न्यायालय का निर्णय ए.के. माथुर, न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 13.7.2006 को पारित आदेश के विरुद्ध निर्देशित है। जिससे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ता एम.पी- राम मोहन राजा द्वारा

दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया और राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे के मद्देनजर एस. रामिलारसी द्वारा दायर रिट अपील का निपटारा कर दिया। इस तरह, रिट याचिका को खारिज करने वाले डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

3. इस अपील के संक्षिप्त में तथ्य है कि अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता (जिसे इसके बाद में 'रिट याचिकाकर्ता, के रूप में संदर्भित किया जाएगा) ने राज्य सरकार के उद्योग विभाग में 2.2.1996 को तमिलनाडु लघु खनिज रियायत नियम, 1959 (जिसे इसके बाद में 'नियमावली, के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के नियम 39 के तहत 20 वर्षो की अवधी के लिए अय्यमकोलांकोंडम गांव, राजपलायम तालुक, कामराजार जिला की पोरम्बोक भूमी के सर्वेक्षण संख्या 782/2 की 3.64 हैक्टेयर भूमि, सर्वेक्षण सं.777/4 ए की 2.36 हैक्टेयर भूमि की सीमा तक में जेली एवं खुरदरे पत्थर के उत्खनन के लिए खदान पट्टा प्रदान हेतु आवेदन किया गया। नियमावली के नियम 39 में राज्य सरकार को विशेष मामलों में खदान पट्टा या अनुमति देने या नवीनीकृत करने की शक्ति प्रदान की गई है। उक्त नियमावली की वैधता को एफ प्रीमियम ग्रेनाइट्स व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य, [1994] 2 एससी 691 मामले में इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। इस न्यायालय ने नियमावली को

वैध माना लेकिन राज्य सरकार की कार्रवाई को हमेशा चुनौती दी जा सकती है। रिट याचिकाकर्ता ने 1996 की रिट याचिका संख्या 6931 दायर करके मद्रास उच्च न्यायालय में शिकायत की कि नियमावली के नियम 39 के तहत उसके आवेदन का निपटारा नहीं किया गया और इस तरह उसने राज्य सरकार को उसके आवेदन का निपटारा नियमावली के नियम 39 के तहत करने का निर्देश देने की प्रार्थना की। दिनांक 14.6.1996 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को रिट याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने और आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उसका निपटान करने का निर्देश देकर रिट याचिका का निपटारा कर दिया। इस बीच राज्य सरकार को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। हालाँकि, 27.6.1996 को चार सप्ताह की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा नियम 39 को निरस्त कर दिया गया था। नतीजतन, रिट याचिकाकर्ता का आवेदन दिनांक 8.10.1996 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद, जिला कलेक्टर ने 2003 में कुछ जमीनों को नीलामी के लिए रखा। जिन दो जमीनों के लिए रिट याचिकाकर्ता ने पट्टा देने के लिए आवेदन किया था, उनमें से एक को नीलामी के लिए रखा गया था। सात साल बाद, रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर कर 2003 के W.P.No.13791 होने के नाते दिनांक 8.10.1996 के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट की मांग की गई और पहले प्रत्यर्थी को नियम 39 के तहत जो तत्कालिन समय में था, जेली और रफ पत्थर की

खदान के लिए पट्टा देने के लिए 2.2.1996 की रिट याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया जावे।

`4. रिट याचिका 29.4.2003 को स्वीकार की गई थी। दिनांक 27.2.2004 के एक अंतरिम आदेश द्वारा एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ता को उक्त भूमि में जेली और खुरदरे पत्थर का उत्खनन कार्य जारी रखने की अनुमति दी। उक्त आदेश को राज्य सरकार द्वारा 2004 की रिट अपील संख्या 1750 में चुनौती दी गई थी। इसके बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कुछ स्पष्टीकरण आदेश पारित किया जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर की लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 27.2.2004 के अंतरिम आदेश को एक निजी पक्ष एस. तमिलरासी ने 2006 की रिट अपील संख्या 453 में चुनौती दी थी, जिसमें आरोप लगाया था कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश का लाभ उठाते हुए रिट याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में दी गई पट्टा-धारण भूमि पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है और उक्त भूमि पर उत्खनन कार्य शुरू कर दिया है। इसलिए, इन दोनों मामलों को पक्षकारों की सहमति से एक साथ जोड़ दिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा सामान्य आक्षेपित आदेश द्वारा निपटारा कर दिया गया।

5. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि नियमावली के पूर्व नियम 8-सी जो 1977 में पेश किया गया था जिसके द्वारा निजी

व्यक्तियों के पक्ष में काले ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए पट्टा देना प्रतिबंधित कर दिया गया था।

यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि पट्टा केवल राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगमों के पक्ष में ही दिया जा सकता है। नियम 8-सी की वैधता को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई और अंततः, मामला इस न्यायालय के समक्ष पहुंचा और तमिलनाडु राज्य बनाम हिंद स्टोन, एआईआर (1981) एससी 711 में इस न्यायालय ने राज्य की अपील की स्वीकार किया और नियम 8-सी वैधता को बरकरार रखा। इस न्यायालय ने पाया कि कुछ आवेदन जो इस निषेध के लागू होने से पहले लंबित थे, उन्हें नियमों के अनुसार निपटाया जा सकता है, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि खनन में पट्टा देने का निहित अधिकार किसी के पास नहीं है। इसके बाद, 8.3.1993 को नियम 39 पेश किया गया और उस नियम ने राज्य सरकार को छूट की शक्ति प्रदान की। खनिज विकास के हित में और सार्वजनिक हित में सरकार कारणों दर्शित करते हुए किसी भी खनिज के उत्खनन के लिए पट्टा या अनुमति दे सकती है। नियम 39 की वैधता को भी चुनौती दी गई थी लेकिन प्रीमियम ग्रेनाइट्स व अन्य (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय ने इसे बरकरार रखा था।

6. पट्टा देने के लिए राज्य सरकार के समक्ष नियमावली के नियम

39 के तहत कई आवेदन दायर किये गये थे। सरकार ने कुछ मामलों में निषेध की शक्ति में ढील देते हुए पट्टे दिये लेकिन कुछ आवेदन खारिज कर दिये गये।इसलिए, मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं। उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.3.1995 के आदेश द्वारा निश्चित संख्या में रिट याचिकाओं को स्वीकार की और निर्देश जारी किए कि सभी लंबित आवेदनों को आदेश की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर यथासंभव निपटाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि भविष्य के सभी आवेदनों का निपटारा किया जाना चाहिए जहां तक संभव हो ऐसे आवेदनों की प्राप्ति की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर। 17.3.1995 को पारित उच्च न्यायालय के आदेश को आगे चुनौती नहीं दी गई और इसे अंतिम रूप दिया गया।

7. रिट याचिकाकर्ता ने नियमावली के नियम 39 के तहत आवेदन किया, लेकिन उनके आवेदन का निपटारा बारह सप्ताह के भीतर नहीं किया गया। इसलिए, उन्होंने रिट याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने 2.5.1996 को एक आदेश पारित कर राज्य सरकार को रिट याचिकाकर्ता के आवेदन के निपटान में तेजी लाने और शिकायत प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर इसका निपटान करने का निर्देश दिया। इसी बीच, 27.6.1996 को चार सप्ताह के भीतर नियम 39 निरस्त कर दिया गया। राज्य सरकार ने 8.10.1996 को एक आदेश पारित कर रिट

याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया और रिट याचिकाकर्ता को उसके द्वारा आवेदन किए गए क्षेत्र के लिए खदान पट्टा देने के लिए कलेक्टर द्वारा आयोजित की जाने वाली निविदा सह नीलामी में भाग लेने के लिए कहा गया था। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में सरकार द्वारा दिनांक 8.10.1996 को आदेश पारित करने के बाद रिट याचिकाकर्ता ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया और कलेक्टर ने रिट याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि नियम 39 पहले ही निरस्त किया जा चुका है, इसलिए बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए रिट याचिकाकर्ता को कोई पट्टा नहीं दिया जा सकता। रिट याचिकाकर्ता ने 2003 तक इस आदेश को चुनौती नहीं दी और अचानक 27.4.2003 को उच्च न्यायालय के समक्ष 2003 की रिट याचिका संख्या 13791 दायर करने के लिए जाग गया। उच्च न्यायालय ने 29.4.2003 को एक अंतरिम आदेश दिया, जिसमें रिट याचिकाकर्ता को पड़ोसी खदान मालिकों द्वारा उद्धृत पट्टा राशि के भुगतान पर उत्खनन कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई। हालाँकि सरकार ने उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। लेकिन अंतरिम आदेश से प्रभावित निजी प्रत्यर्थी ने रिट पर आरोप लगाते हुए उक्त आदेश के खिलाफ रिट अपील दायर की कि अंतरिम आदेश की आड़ में याचिकाकर्ता उसे आवंटित खदान में हस्तक्षेप कर रहा था। ऐसे में रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका और रिट अपील को एक साथ जोड़ा गया।

8. हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है। हाई कोर्ट की तरह ही हमारे समक्ष भी पहला व महत्वपूर्ण प्रश्न देरी का था। सरकार ने 8.10.1996 को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में उनके आवेदन को खारिज करते हुए आदेश पारित किया, इसे वर्तमान रिट याचिका द्वारा अत्यधिक देरी यानी 27.4.2003 के बाद चुनौती दी गई थी, इसलिए, रिट याचिका निराशाजनक रूप से विलंबित हो गई थी। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण की आपत्ति को स्वीकार कर लिया और हमारी राय में यह सही भी है। जब उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा नियम 39 के तहत रिट याचिकाकर्ता का आवेदन 8.10.1996 को खारिज कर दिया गया था, तो रिट याचिकाकर्ता ने 27.4.2003 तक इंतजार किया और निराशाजनक रूप से देर से रिट याचिका दायर की। पर यह अजीब बात है कि उक्त रिट याचिका पर सुनकर एक अंतरिम आदेश पारित किया गया और राज्य सरकार द्वारा आपत्ति करने के बावजूद इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया। ऐसा केवल तभी हुआ जब एक तीसरा पक्ष जो उक्त अंतरिम आदेश से व्यथित महसूस कर रहा था क्योंकि इस अंतरिम आदेश के रिट याचिकाकर्ता ने उसके क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, तब इस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया और इसे एक साथ जोडा गया। हम संतुष्ट हैं कि रिट याचिकाकर्ता को लंबे समय तक इंतजार करने का कोई औचित्य नहीं था। जब एक बार आदेश 8.10.1996 को पारित हो

गया, तो रिट याचिकाकर्ता को इतने लंबे समय तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत से पूरी तरह सहमत हैं। हालाँकि, इस तथ्य के बावजूद कि रिट याचिका देर से दायर की गई थी और खामियों से ग्रस्त थी, उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर भी विवाद में प्रवेश किया और यह विचार किया कि जब नियम 39 को राज्य सरकार को निपटाने के निर्देश के चार सप्ताह के भीतर हटा दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता के आवेदन को देखते हुए, कलेक्टर के पास आवेदन को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि जो नियम प्रभावी था उसे निरस्त कर दिया गया था, इसलिए, जिस आधार पर आदेश पारित किया गया था उसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता को कोई राहत देने से इंकार कर दिया और गुणावगुण के आधार पर रिट याचिका को भी खारिज कर दिया।

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि रिट याचिका को देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। जिसके समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान इसी न्यायालय के एक निर्णय पी.सी. सेठी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, एआईआर (1975) एससी 2164 की ओर आकर्षित किया। उस मामले में यह माना गया था कि क्योंकि सरकार ने उम्मीदें बांध रखी हैं, इसलिए याचिका देरी

के आधार पर खारिज होने योग्य नहीं है। के. थिमप्पा व अन्य बनाम अध्यक्ष, केंद्रीय निदेशक मंडल, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य, (2001) 2 एससीसी 259, के मामले में न्यायालय ने धारित किया कि किसी याचिका को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और कब अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं है, याचिका दायर करने में देरी के सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड व अन्य बनाम डॉली दास (1999) 4 सेकंड 450 के मामले में यह माना गया कि देरी स्वयं याचिकाकर्ता के अनुतोष के दावे को विफल नहीं कर सकती, जब तक कि प्रतिवादी की स्थिति में अपरिवर्तनीय परिवर्तन नहीं किया गया हो या उसे अनुचित कठिनाई में नहीं डाला गया हो। मैसर्स देहरी रोहतास लाइट रेलवे कंपनी लिमिटेड बनाम जिला बोर्ड, भोजपुर व अन्य [1992] 2 एससीसी 598 के मामले में न्यायालय ने यह माना है कि प्राराम्भिक स्तर पर रिट याचिका को खारिज करना उचित नहीं था। चूंकि उपकर की मांग अवैध रूप से 1967 में की गई थी और मुकदमा 1971 में खारिज कर दिया गया, न्यायालय ने पक्षकारों में गंभीर परिणाम का मामला पाया था, इसलिए उस मामले में देरी को घातक नहीं माना गया।

10. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण ने इसके विपरीत हमारा ध्यान उड़ीसा राज्य बनाम लोचन नायक (मृत), जरिए एलआर (2003] 10

एससीसी 678 के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। जिसमें भूमि आवंटन का प्रश्न शामिल था और आयुक्त ने 1984 में किए गए आवंटन को खारिज कर दिया था जिसके खिलाफ प्रतिवादी ने 1992 में उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने मामले को नए सिरे से विचारण के लिए राजस्व अधिकारी को वापस भेज दिया। तब तक, 1992 में आवंटन को रद्द कर दिया गया। इस न्यायालय ने माना कि रिट याचिका दायर करने में अत्यधिक देरी के कारण, उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था और तदनुसार, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर देना चाहिए।

11. जहां तक देरी का सवाल है, कोई सख्त व प्रथम नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामले में, यह तथ्य दर्शित हैं कि कलक्टर ने 8.10.1996 को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में एक आदेश पारित किया था, जिसमें रिट याचिकाकर्ता के खनन पटटा अनुदान पर विचार करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता इस मामले पर चुप्पी साधे बैठा रहा तथा 2003 तक इसे चुनौती नहीं दी। प्रथम दृष्टया यह बहुत गंभीर प्रतीत होता है। जो व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के इतने लंबे समय तक चुप बैठा रह सकता है, उसे कोई लाभ नहीं दिया जा सकता।

12. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि जब उच्च न्यायालय ने 14.6.1996 को आदेश पारित किया, उस समय नियम 39 अस्तित्व में था। इसलिए, रिट याचिकाकर्ता के मामले का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए था जैसे कि नियम को हटाया या निरस्त ही नहीं किया गया हो। इसके समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

(i) [1993] सुप्रा. 1 एससीसी96(II) इस मामले में: कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण.

(ii) एआईआर (1994) एससी 1 हरियाणा राज्य और अन्य बनाम करणाल सहकारी किसान सोसायटी लिमिटेड आदि।

(iii) एआईआर (2003) एससी 833 बेग राज सिंह बनाम यूपी राज्य एवं अन्य.

कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के मामले में, न्यायालय ने माना है कि विधायिका अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के आधार को बदलकर सामान्य रूप से कानून को बदल सकती है, लेकिन यह अंतर पक्षों के निर्णय को रद्द करने को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसी तरह, हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में यह माना गया था कि सिविल कोर्ट और न्यायिक आदेश के आदेश में कहा गया था कि कुछ भूमि और अचल

संपत्तियां मूल अधिनियम द्वारा विनियमित "शामिलत देह" के बाहर आती हैं, इसके बाद संशोधन में सहायक कलेक्टर को उनकी अनदेखा करके दावे पर निर्णय लेने का निर्देश देना असंवैधानिक माना गया क्योंकि यह न्यायिक शक्ति पर अतिक्रमण करता है। बेग राज सिंह के मामले में याचिकाकर्ता को 3 से 5 साल के लिए खनन पट्टा दिया गया था लेकिन याचिकाकर्ता को गलती से एक साल के लिए पट्टा दे दिया गया था। यह माना गया कि नीतिगत निर्णय के संदर्भ में याचिकाकर्ता को तीन साल की न्यूनतम अवधि तक जारी रखने का अधिकार है और यह माना गया कि मुकदमेबाजी में समय व्यतीत होने और इस आधार पर कि खनन अधिकारों की नीलामी से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा इस कारण इसे कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता तीन साल की अवधि के लिए बने रहने का हकदार होगा।

13. अब, रिट याचिका के गुणावगुण पर आते हुए हम पाते हैं कि यह नियम 27.6.1996 को पहले ही निरस्त किया जा चुका था और जमीनी हकीकत भी बदल चुकी थी। जहां तक खनन एवं खनिज पट्टा देने का सवाल है तो इसमें कोई भी व्यक्ति निहित अधिकार नहीं रखता है। विधिक स्थिति पर कोई विवाद नहीं है कि यदि कुछ अधिकारों का निर्णय उस समय प्राप्त कानून के आधार पर किया गया है, तो वह न्यायिक निर्णय तब तक रद्द नहीं होगा, जब तक कि उन आधारों को हटा नहीं

दिया जाता। वर्तमान मामले में, जिस नियम के तहत रिट याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पर विचार करने के लिए निर्देश मांगा था, उसे उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित समय सीमा के भीतर पहले ही निरस्त कर दिया गया है। इसलिए जिस आधार पर आदेश पारित किया गया वह पूरी तरह से खारिज हो गया है। जिस नियम 39 के आधार पर निर्देश दिया गया वह अस्तित्व में ही नहीं था। इसलिए, अधिकारियों के लिए रिट याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका। और तो और, खनिज पट्टे पर किसी का निहित अधिकार नहीं है। इस संबंध में तमिलनाडु राज्य बनाम एमजे एस मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लेना अधिक उपयोगी होगा। हिंद स्टोन एवं अन्य, [1981] 2 एससीसी 205। उपरोक्त मामले में न्यायालय ने इस प्रकार देखा गया:

> "कथन यह था कि पट्टे देने के आवेदनों और नवीकरण के लिए आवेदनों को लंबे समय तक लंबित रखना और फिर नियम 8-सी के आधार पर उन्हें अस्वीकार करना सरकार के लिए खुला नहीं था, इस तथ्य के बावजूद कि आवेदन लंबित थे नियम 8-सी लागू होने की तारीख से बहुत पहले बनाया गया था। हालांकि यह सच है कि ऐसे आवेदनों को उचित समय के भीतर निपटाया जाना चाहिए, लेकिन इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी आवेदन को उचित समय में निपटाने का अधिकार

आवेदक को आसानी से आवेदन पेश करने का अधिकार प्रदान करता है। आवेदन के समय लागू नियमों के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। किसी को भी पट्टे की मंजूरी या नवीकरण का निहित अधिकार नहीं है और कोई भी विशेष प्रावधानों को लागू करके, किसी विशेष तरीके से निपटाए गए पट्टे के अनुदान या नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। किसी में निहित अधिकार के अभाव में, पट्टे के लिए आवेदन को आवश्यक रूप से आवेदन के निपटान की तारीख पर लागू नियमों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि आवेदन बनने में काफी देरी हो चुकी है। इसलिए, हम विद्वान वकील की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि पट्टों के नवीनीकरण के अनुदान के लिए जी.आे.एमस. संख्या 1312 की तारीख से बहुत पहले किए गए आवेदनों को ऐसे निपटाया जाना चाहिए जैसे कि नियम 8-सी मौजूद ही नहीं था।"

इसी तरह पी.टी.आर. एक्सपोर्ट्स (मद्रास) प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ, [1996] 5 एससीसी 268 के मामले में भी न्यायालय ने उसी स्थिति को दोहराया।

14. हमारी उपरोक्त विवेचन से, हमनें इस अपील में कोई गुणावगुण

नहीं पाया है और इस अपील को खर्चा के संबंध में बिना किसी आदेश के ख़ारिज किया जाता है।

एस.के.एस. अपील खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महावीर महावर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।